

वन्य जीव विहार/सेन्चुरी न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि० द्वारा बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (एस०एच०-30) के किमी सं०-57 के मध्य दांयी पटरी पर, गाटा सं०-58, ग्राम-मुण्डेरवा कला, तहसील-गोण्डा, जिला-गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से 10 कि०मी० की परिधि में कोई वन्य जीव विहार/सेन्चुरी स्थित नहीं है।

प्रभागीय निदेशक

वन प्रभाग, गोण्डा

 15/6/21
(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०
गोरखपुर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय

Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited